न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, सिवान

जमानत आवेदन सं0–465/2026

रघुनाथपुर थाना कांड सं0–293/2025 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–310(2) भारतीय न्याय संहिता

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

सुमित कुमार उर्फ सुमित साह..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः– श्री अजीत कुमार राय, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

30.04.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ सुमित साह की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन, रघुनाथपुर थाना कांड संख्या 293/2025, अंतर्गत धारा 310(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया। काराधीन आवेदक/अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ सुमित साह दिनांक 02.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन संचालित किया गया। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक कृष्णा प्रसाद के द्वारा दिए गए फर्द बयान के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचक का कृष्णा ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार के नाम से आभूषण और बर्तन की दुकान टारी बाजार, थाना रघुनाथपुर, सिवान में है। सूचक दिनांक 27.11.2025 को समय 08:00 बजे सुबह में दुकान खोलकर अपने पुत्र अंकित कुमार सोनी के साथ दुकान में बैठा था और आने वाले ग्राहकों को समान बेच रहा था इसी बीच 12:05 बजे अपराह्न में उसके दुकान में चार अपराधी हथियार के साथ अंदर घुसे और हथियार का भय दिखाकर दुकान में रखे आभूषण और नकदी देने के लिए कहा। हथियार के भय से सूचक ने अपराधियों से कहा कि जो चाहिए ले लो, लेकिन कुछ मत करो। इसके बाद इनलोगों ने सूचक के लड़का को धक्का देकर अलग हटा दिया और भयभीत करने के लिए तीन फायर किया लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। चारों अपने साथ लाये प्लास्टिक के बोरा में सूचक के दुकान की तिजोरी से बीस हजार रूपया नकद एवं सोने एवं चॉदी का अलग–अलग आभूषण तथा तिजोरी की तीन चाभी बोरा में भरकर अपने साथ ले गए। अपराधियों ने भयभीत करने के लिए दुकान के बाहर भी कुछ अपराधियों को निगरानी करने के लिए रखा था। घटना के बाद हल्ला सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए जिनके सहयोग से अपराधियों का पीछा किया गया तथा पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पाकर पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुॅचकर आवश्यक कार्रवाई की गई। घटना में दो बाइक क्रमशः स्पलेन्डर और अपाची से कुल छः अपराधी आये थे। सभी का उम्र 18 से 25 वर्ष के आसपास था। सभी अपराधी हथियार लहराते हुए बाजार से उत्तर दिशा की तरफ भागे।

काराधीन आवेदक/अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ सुमित साह की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान

लगातार
30.04.2026

अधिवक्ता के द्वारा यह निवेदन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष अन्य कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दो आपराधिक मुकद्मा दर्ज है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है, उसका नाम सह अभियुक्त विक्की बैठा के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है तथा उसके कब्जे से या घटनास्थल से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह निवेदन किया गया कि सह अभियुक्त सोनू बैठा एवं सचिन कुमार यादव को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के क्रिमि. मिस. सं0 22326/2026 एवं 22643/2026 द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के विरोध में यह निवेदन किया गया कि प्रस्तुत आपराधिक वाद में काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उसके द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के दुकान पर फायरिंग कर सोना–चॉदी एवं बीस हजार रूपया नकद लूटने का गंभीर आरोप है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, रघुनाथपुर थाना कांड सं0 293/2025, अंतर्गत धारा 310(2) भारतीय न्याय संहिता, अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा मिलकर सूचक के दुकान पर फायरिंग कर सोना–चॉदी एवं बीस हजार रूपया नकद लूटने के अभियोग के संदर्भ में संस्थित किया गया है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है, किंतु उसकी कथित अपराध में संलिप्तता का तथ्य प्रस्तुत आपराधिक वाद के सह अभियुक्त विक्की बैठा के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है(कांड दैनिकी की कंडिका 28 में वर्णित), किंतु काराधीन आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से चोरी का कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ था। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद के सह अभियुक्त सोनू बैठा एवं सचिन कुमार यादव का जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायायलय, पटना के द्वारा क्रिमि. मिस. सं0 22326/2026 एवं 22643/2026 क्रमशः आदेश दिनांक 06.04.2026 एवं 07.04.2026 से स्वीकृत करते हुए उसे जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। प्रस्तुत आपराधिक वाद के संदर्भ में काराधीन आवदेक/अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग की प्रकृति एवं तथ्य उक्त अभियुक्त सोनू बैठा एवं सचिन कुमार यादव के समान या समरूप है। काराधीन आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा काराधीन आवेदक/अभियुक्त दिनांक 02.02.2026 से काराधीन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा क्रिमी. मिस. सं0 22326/2026 एवं 22643/2026, दिनांक 06.04.2026 एवं 07.04.2026 के संदर्भ में पारित आदेश एवं उसके द्वारा कारा में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए काराधीन आवेदक अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ सुमित साह ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है, तद्नुसार दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा उसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय, सिवान के संतुष्टियोग्य मो. 10,000/–(दस हजार) रूपये

लगातार
30.04.2026

के समान राशि वाले दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि काराधीन आवेदक/अभियुक्त, अनुसंधान/विचारण में सहयोग करेंगे। बंधपत्र दाखिल किये जाने समय काराधीन आवेदक/अभियुक्त एवं प्रतिभूगण का मोबाईल नम्बर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं प्रतिभूगण के द्वारा भी धारा 486 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित घोषणा पत्र के तहत सभी सुसंगत विशिष्टियॉ दी जायेगी।

लेखापित

ह0/—

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सिवान।